Press Release

30/01/2024

Directorate of Enforcement (ED) on 29.01.2024 has provisionally attached movable/immovable properties amounting to Rs. 8,53,50,392/- (having present market value estimated to be more than Rs. 151 Crore) under the provision of Prevention of Money Laundering Act, 2002 in the case of **Dhar Land Scam of Madhya Pradesh**. This attachment comprises the illegally occupied land parcel belonging to the Madhya Pradesh Government and also Proceeds of Crime generated by Sudhir Ratnakar Peter Das & others by further sale of part of said Government land. The attached properties comprise 56 immovable properties and 02 movable properties (fixed deposits), which are in the name of various persons including the main mastermind, Sudhir Ratnakar Peter Das.

ED initiated the investigation on the basis of the FIR registered and the Chargesheet filed by Madhya Pradesh Police for the offences registered under various sections of IPC, 1860. The subject land was given by the then Maharaja of Dhar, Anand Rao Pawar to Dr. (Miss) Margerate O' Hora of the Canadian Presbyterian Mission for the sole purpose of setting up a Womens' Hospital and residential facility for the doctors. After Dr. Hora left for Canada in 1927, the said land holding was abandoned and was recorded as government land as per Misal Bandobast (Government records) of 1927-28 of district Dhar, Madhya Pradesh. Thereafter, the subject government land was illegally alienated through a conspiracy hatched and executed by Sudhir Ratnakar Peter Das in connivance with various individuals and religious institutions. It involved collusive proceedings before revenue and judicial authorities, obliterating records, manipulation of records etc. in collusion with private individuals as well as public officials.

ED investigation revealed that government land having area 3.567 hectares located at Dhar district of Madhya Pradesh was divided by Sudhir Das in connivance with other persons into various plots and sold to various persons fraudulently by making forged documents with deceitful and dishonest intention to gain profit.

Further investigation is under process.

प्रेस रिलीज

30/01/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29/01/2024 को मध्य प्रदेश के धार भूमि घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत 8,53,50,392/ रुपये (जिसका वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानतः रुपये 151 करोड़ से अधिक है) की चल/अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस कुर्की में मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित अवैध रूप से कब्ज़ा की गई भूमि शामिल है तथा उक्त सरकारी भूमि के हिस्से की बिक्री से सुधीर रत्नाकर पीटर दास और अन्य द्वारा अर्जित अपराध की आय भी शामिल है। कुर्क की गई संपत्तियों में 56 अचल संपत्तियां और 02 चल संपत्तियां (सावधि जमा) शामिल हैं, जो मुख्य मास्टरमाइंड, सुधीर रत्नाकर पीटर दास सहित विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराधों के बाबत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और दायर की गई चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की है। विषयगत भूमि धार के तत्कालीन महाराजा आनंद राव पवार द्वारा कनाडाई प्रेस्बिटेरियन मिशन की डॉ. (सुश्री) मार्गरेट ओ' होरा को महिला अस्पताल और डॉक्टरों के लिए आवासीय सुविधा स्थापित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए दी गई थी। 1927 में डॉ. होरा के कनाडा वापस चले जाने के बाद, उक्त भूमि को छोड़ दिया गया और जिला धार, मध्य प्रदेश की 1927-28 की मिसल बंदोबस्त (सरकारी रिकॉर्ड) के अनुसार उक्त भूमि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज की गई। इसके बाद, विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों की मिलीभगत से सुधीर रत्नाकर पीटर दास द्वारा रचित और क्रियान्वित की गई साजिश के माध्यम से विषयगत सरकारी भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें निजी व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा राजस्व और न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मिलीभगतपूर्ण कार्यवाही, रिकॉर्ड को नष्ट करना, रिकॉर्ड में हेरफेर आदि शामिल थे।

ईडी की जांच से पता चला है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित 3.567 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली सरकारी जमीन को सुधीर दास ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विभिन्न भूखंडों में विभाजित किया था और लाभ कमाने के लिए धोखे और बेईमानी के इरादे से जाली दस्तावेज बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को धोखाधड़ी से बेच दिया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।